

28/3/2025

पत्रावली प्रेषित है। अधिवक्ता शर्मा
उपस्थित। शर्मा स्वयं उपस्थित।
शर्मा ने शर्मा-पत्र प्रस्तुत कर
मिक्सेज किया कि "शर्मा एवं अधिवक्ता
के द्वारा समझौता करने एवं आपसी
सहमती होने के कारण शर्मा को
निवाड मॉड्युल पर नहीं रखा है। इसलिये
शर्मा उक्त निगरानी से कागे नहीं
चलाना चाहता है। अतः इसी तरह
पर अंपरिज करवाना चाहता है।"
इसलिये पत्रावली इसी स्तर पर
खारिज की जाये। पत्रावली का फिलोसोफी
किया गया। शर्मा के मिक्सेज पर पत्रावली
इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
पत्रावली कुंजलक्ष्मी देवत गंधर्व से
कम देवत लखिल पत्रावली है।

अधिवक्ता
श.भ.
बलपुत्रा
28/3/25

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

